भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3133
उत्तर देने की तारीख 12.03.2020

उद्योग आधार ज्ञापन योजना

3133. श्री रामदास तडसः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2015 में अधिसूचित उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) योजना में कई खामियां हैं जिसके कारण देश के विभिन्न हिस्सों में छोटे स्तर की कई तंबाकू उत्पादन और सिगरेट विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1999 के बाद सिगरेट विनिर्माण के लिए कोई नया लाइसेंस जारी नहीं करने के बावजूद सिगरेट का अवैध रूप से विनिर्माण किया जा रहा है जो सरकार की तंबाकू निषेध नीति का उल्लंघन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूएएम के उपबंधों में सुधार करने के लिए कोई चर्चा चल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आईडीआर अधिनियम, 1951 के अंतर्गत लाइसेंस की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यूएएम 2015 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने वाली इकाइयां तंबाकू और अन्य संबंधित उत्पादों के विनिर्माण में संलग्न हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नितिन गडकरी)

(क) से (ड.): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने उद्यमी ज्ञापन (ईएम भाग-I और II) की फाईलिंग को प्रतिस्थापित करके दिनांक 18 सितम्बर, 2015 को एमएसएमई के लिए एक पृष्ठीय ऑनलाईन प्रणाली का उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) अधिसूचित किया था। यूएएम में नई विशेषताओं को शामिल करने के लिए वर्ष 2017 में संशोधन किया गया। इस ज्ञापन को स्व-प्रमाणन आधार पर इकाई द्वारा फाईल किया जाना होता है और पंजीकरण करते समय कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। तथापि, केंद्र अथवा राज्य सरकार इकाई से ज्ञापन में प्रदत्त सूचना का दस्तावेजी सबूत मांग सकती हैं। संबंधित जिले के जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के महाप्रबंधक भी उद्यम द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन का सत्यापन कर सकते हैं और किसी विसंगति के मामले में उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।

यूएएम के अंतर्गत केवल संचालित इकाईयां ही पंजीकरण कर सकती हैं। यूएएम के अंतर्गत पंजीकरण पूर्णतः स्वैच्छिक है और सूक्ष्म, लघु और मध्मय उद्यम मंत्रालय द्वारा ज़ारी लाईसेंस अनिवार्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत तंबाकू वाली सिगार और सिगरेटों के विनिर्माण और प्रतिस्थानी तंबाकू विनिर्माणों (तंबाकू अथवा तंबाकू प्रतिस्थानी की सिगार, चिरूट, सिगारील्लोस सिगरेट) के लिए औद्योगिक लाईसेंस अनिवार्य है। स्वास्थ्य कारणों से वर्ष 1999 से नए औद्योगिक लाईसेंस ज़ारी नहीं किए जा रहे हैं।

*****